N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0051 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/03/2025 19:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 17/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 05/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 09:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/03/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/03/2025 19:22:50 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** AROPI KE MAKAN KA DARING ROOM, ASHARAM BAPU ASHRAM ROAD, LAXMAN VATIKA MAIRIJ HOME KE SAMANE, SARKULAR ROAD,BHARATPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VISHVENDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LAKHAN SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	N.H.21 AGARA ROAD, UNCHA NAGALA, VRAJHANI KE SAMNE BHRATPUR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	N.H.21 AGARA ROAD, UNCHA NAGALA, VRJAHNEE KE SAMNE BHRATPUR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH SAINI		पिता:CHHAJURAM SAINI	1. LAXMAN VATIKA MARRIGE KE SAMNE,SARKULR ROAD BHARTPUR,MATHURAGATE,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर, विषयः-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बावत। महोदय निवेदन है कि मै विश्वेन्द्र सिह पुत्र श्री लाखन सिह जाति जाट उम्र 30 साल निवासी एन.एच 21 आगरा रोड ऊचा नगला वृजहनी के सामने भरतपुर पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी लाखन सिह ने सन् 1993 में एक प्लॉट नेशनल हाईवे पर खरीदा था जिसमें हम मकान बनवाकर रिहायश करते हुये चले आ रहे है। हमारे बंगल के खसरा नम्बर 325 में एक साल पहले राजेन्द्र सिह ने एक प्लॉट खरीदा था जिसकी नाप कराई तो उसका कुछ रकबा सैटलमेन्ट में बढा हुआ पाया गया जिसका हमने दावा दुरूस्ती ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में पेश किया ए.सी.एम का चार्ज एस.डी.एम राजीव शर्मा भरतपुर के पास है। एस.डी.एम कार्यालय भरतपुर में कार्यरत दिनेश सैनी पटवारी धारा 136 रेवेन्यू एक्ट का दावा एस.डी.एम कोर्ट भरतपुर में करवाकर उसमें स्टे दिलवाने एवं ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में चल रहे दावा दुरूस्ती के पेडिंग केस में एस.डी.एम भरतपुर जिनके पास ए.सी.एम भरतपुर का भी अतिरिक्त चार्ज है से मदद करवाने की एवज में एस.डी.एम भरतपुर के लिए 15,000 /- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है दिनेश सैनी एस.डी.एम भरतपुर के लिए दलाली का कार्य भी करता है जो एस.डी.एम कार्यालय भरतपुर में कार्यरत है। मैं दिनेश सैनी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं उसे रंगे हाथो रिश्वत राशि लेते हुये पकड़वाना चाहता हूं मेरी दिनेश सैनी से कोई पुरानी रजिश नही है और नाही मेरा कोई रूपयो का लेन-देन बकाया है। प्रार्थी एसडी विश्वेन्द्र सिह पुत्र लाखन सिह जाति जाट निवासी एन.एच 21 आगरा रोड ऊचा नगला वृजहनी के सामने भरतपुर पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर मो. [redacted] दिनांक 17.02.2025 एसडी सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 17.02.25 एसडी नरेश सिह परमार, दिनांक 02.03.25 एसडी प्रभात कुमार शर्मा दिनांक 02.03.25 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 17.02.25 को मन् उप अधीक्षक पुलिस अन्य दिगर राजकार्य से कैम्प सर्किट हाउस भरतपुर मुकीम था। समय करीब 03.00 पी.एम पर परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह पुत्र श्री लाखन सिह जाति जाट उम्र30 साल निवासी एन.एच21 आगरा रोड ऊचा नगला वृजहनी के सामने भरतपुर पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर ने कैम्प सर्किट हाउस भरतपुर में उपस्थित होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड छायाप्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर के पदनाम संबोधित करते हुये मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिह को इस आशय की पेश की मै विश्वेन्द्र सिह पुत्र श्री लाखन सिह जाति जाट उम्र 30 साल निवासी एन.एच 21 आगरा रोड ऊचा नगला वृजहनी के सामने भरतपुर पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी लाखन सिह ने सन् 1993 में एक प्लॉट नेशनल हाईवे पर खरीदा था जिसमें हम मकान बनवाकर रिहायश करते हुये चले आ रहे है। हमारे बंगल के खसरा नम्बर 325 में एक साल पहले राजेन्द्र सिह ने एक प्लॉट खरीदा था जिसकी नाप कराई तो उसका कुछ रकबा सैटलमेन्ट में बढा हुआ पाया गया जिसका हमने दावा दुरूस्ती ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में पेश किया ए.सी.एम का चार्ज एस.डी.एम राजीव शर्मा भरतपुर के पास है। एस.डी.एम कार्यालय भरतपुर में कार्यरत दिनेश सैनी पटवारी धारा 136 रेवेन्यू एक्ट का दावा एस.डी.एम कोर्ट भरतपुर में करवाकर उसमें स्टे दिलवाने एवं ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में चल रहे दावा दुरूस्ती के पेडिंग केस में एस.डी.एम भरतपुर जिनके पास ए.सी.एम भरतपुर का भी अतिरिक्त चार्ज है से मदद करवाने की एवज में एस.डी.एम भरतपुर के लिए 15,000 /- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है दिनेश सैनी एस.डी.एम भरतपुर के लिए दलाली का कार्य भी करता है जो एस.डी.एम कार्यालय भरतपुर में कार्यरत है। मैं दिनेश सैनी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं उसे रंगे हाथो रिश्वत राशि लेते हुये पकड़वाना चाहता हूं मेरी दिनेश सैनी से कोई पुरानी रजिश नही है और नाही मेरा कोई रूपयो का लेन-देन बकाया है। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीर रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है एवं मैं यह कार्यवाही एसीबी चैकी धौलपुर से करवाना चाहता हूं क्योंकि वह भरतपुर में पदस्थापित है इसलिए एसीबी धौलपुर से कराना चाहता हूं। मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रक्रिया अनुसार रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने हेतु श्रीकान्त हैड कानि. 72 को जरिये मोबाईल फोन निर्देशित किया कि परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की स्थिति से मन् उप अधीक्षक पुलिस को हालातो से अवगत करावें। दिनांक 18.02.25 समय 02.00 पी.एम पर गवाह श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 व श्री योगेश सिह कानि 88 के समक्ष श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्रीकान्त हैड

कानि. 72 ने रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय आलमारी से निकालकर मय मैमोरी कार्ड सहित श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू एवं बन्द करने की विधि को समझाकर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह जो पूर्व से पाबन्द शुदा के पास पहुंचकर परिवादी को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाये व परिवादी को आरोपी के पास जाने से पूर्व अपना परिचय देकर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी को आरोपी श्री दिनेष सैनी, पटवारी हाल कार्यरत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के पास भेजकर रिष्वत राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाकर बाद रिश्वत मांग सत्यापन डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर ज्यों का त्यों सुरक्षित श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार हैड कानि. को पेश करें। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं मैमोरी कार्ड में पूर्व से कोई रिकॉर्ड वार्ता सेव नही है एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सही हालात में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। इसके बाद दिनांक 24.02.2025 समय 01.00 पी.एम पर गवाह श्री योगेश सिह कानि. 88 व श्री शंकर लाल मीणा कानि. चालक 500 के समक्ष श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को जरिये फर्द सुपुर्द शुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर मांगने पर अपने पास से निकालकर (बन्द हालात) मुख्य आरक्षक को पेश किया। विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को उसी हालत में कार्यालय के मालखाना में बिना छेड-छाड के सुरक्षित हालत में रखा गया। मन् सुरेन्द्र सिह उप अधीक्षक पुलिस जो आकस्मिक अवकाश पर मन् उप अधीक्षक पुलिस आकस्मिक अवकाश से वापसी आने पर विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को पेश किया जावेगा। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 बताया कि परिवादी से आरोपी रिश्वत लेने का कोई दिन अभी निश्चित नहीं हुआ है। परिवादी को इस संबंध में आरोपी से दिन निश्चित होने के पशचात् अवगत कराने की हिदायत की गई। दिनांक 28.02.25 समय 12.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक सुरेन्द्र सिह आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर वापस कार्यालय हाजा उपस्थित आने पर श्रीकान्त हैड कानि. 72 ने श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 के समक्ष विभागीय वॉईस रिकॉर्डर मय फर्दात् को अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे सुपुर्द किये गये जिस पर मैने फर्दात् का अवलोकन किया गया तथा कानि. ब्रह्मदेव ने अवगत कराया कि मुताबिक निर्देश कार्यालय एसीबी धौलपुर से रवाना होकर परिवादी के बताये स्थान भरतपुर पहुंचा परिवादी से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि अभी आरोपी बाहर गया हुआ है आने पर अवगत करा देगे, इस पर मुकीम भरतपुर रहा। दिनांक 24.02.2025 को परिवादी से जरिये मोबाईल फोन वार्ता हुई कि आज आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है इस पर परिवादी के पास पहुंचा एवं विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू किया जाकर परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह को सुपुर्द किया जिसने बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर वापस मुझे पेश किया जिसको मैने बन्द कर सुरक्षित रखकर कार्यालय एसीबी चैकी धौलपुर पहुंचकर दिनांक 24.02.25 को श्रीकान्त हैड कानि. 72 को सुपुर्द कर दिया था इसके बाद श्रीकान्त हैड कानि. 72 ने बताया कि विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे द्वारा सुरक्षित रखा गया है मेरे द्वारा इससे कोई छेडछाड नही की गई। परिवारी श्री विश्वेन्द्र सिह व परिवादी के परिजनो एवं आरोपी की रिश्वत मांग सत्यापन, रिश्वत मांगने की वार्ता रिकॉर्ड होना अवगत कराया था इसके बाद विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सरसरी तौर से लैपटॉप कम्प्यूटर की मदद से चालू कर सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। परिवादी के उपस्थित होने पर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद समय 01.00 पी.एम पर परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर उपस्थित होने हेतु अवगत कराया गया था लेकिन परिवादी ने बताया कि मेरा काम होने के कारण आज आने में असमर्थ हूं परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत जरिये मोबाईल फोन दी जाकर शीघ्र ही कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। इसके बाद दिनांक 01.03.2025 समय 12.20 पी.एम पर परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर उपस्थित होने हेतु अवगत कराया गया था लेकिन परिवादी ने बताया कि मेरा काम होने के कारण आज आने में असमर्थ हूं परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत जरिये मोबाईल फोन दी जाकर शीघ्र ही कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। इसके बाद दिनांक 02.03.2025 समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर उपस्थित हुआ जिसे बाद हिदायत कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 12.00 पी.एम पर टेªप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत जिला परिवहन अधिकरी, कार्यालय परिवहन विभाग धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 को स्वतंत्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय परिवहन विभाग धौलपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय 01.15 पी.एम पर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय परिवहन विभाग धौलपुर पहुंचा जहां स्वतंत्र गवाहान को मुताबिक निर्देशानुसार हमराह साथ लेकर कार्यालय उपस्थित आया। इसके बाद समय 01.20 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय है जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुये उनका नाम पता पूछा तो क्रमशः अपने नाम श्री नरेश सिह परमार पुत्र श्री राजपाल सिंह परमार जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी अग्रसेन कॉलोनी बाडी पुलिस थाना बाडी जिला धौलपुर हाल सहायक प्रोग्रामर

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर। मो.नं.- [redacted] व श्री प्रभात कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 32 साल निवासी मोदीपाडा बाडी पुलिस थाना बाडी जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय परिवहन विभाग धौलपुर। मो.नं.- [redacted] जिनसे गोपनीय टे्प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी लिखित सहमति दी, तत्पश्चात् दोनों का गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह से आपस में एक-दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान को परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 17.02.2025 दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर दिनांक संहित अंकित करवाये गये। इसके बाद समय 01.30 पी. एम पर विभागीय वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर से टेबिल स्पीकर को कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह व गवाहान श्री नरेश सिह परमार सहायक प्रोग्रामर कार्यालय परिवहन विभाग धौलपुर व श्री प्रभात कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक कार्यालय परिवहन विभाग धौलपुर की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त रिकॉर्ड वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु एवं दो डीबीडीयां क्रमशः- मुलजिम प्रति एवं आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डीबीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द जप्त किया गया। सील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मार्क M व सील्ड शुद् डीवीडी पर मार्क A अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं रिश्वत मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रासक्रिप्ट से श्री दिनेश सैनी, पटवारी, हाल कार्यरत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा परिवादी के पिताजी रिहायशी मकान का धारा 136 रेवेन्यू एक्ट का दावा एस. डी.एम कोर्ट भरतपुर में करवाकर उसमें स्टे दिलवाने एवं ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में चल रहे दावा दुरूस्ती के पेडिंग केस में एस.डी.एम भरतपुर जिनके पास ए.सी.एम भरतपुर का भी अतिरिक्त चार्ज है से मदद करवाने की एवज में 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत लेने पर सहमत होना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद समय 04.00 पी.एम पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि को 15,000/- रूपये रिश्वत मांग सत्यापन से स्पष्ट है जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000/- रूपये के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा का इन्तजाम है जो अभी मेरे उपलब्ध है। अतः परिवदी को हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय 04.10 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह पुत्र श्री लाखन सिंह जाति जाट उम्र 30 साल निवासी एन.एच 21 आगरा रोड ऊचा नगला वृजहनी के सामने भरतपुर पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से पाँच-पाँच सौ रूपये के कुल 30 (तीस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल रकम 15,000/- ((पन्द्रह हजार) रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:- 01. एक नोट पाँच सौ रूपये का 6 GV 886421, 02 एक नोट पाँच सौ रूपये का 2 ES 554871, 03. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 QT 580746 04. एक नोट पांच सौ रूपये का 6 HM 667163, 05. एक नोट पांच सौ रूपये का 0 PL 351004, 06. एक नोट पांच सौ रूपये का 5 RC 145170, 07. एक नोट पांच सौ रूपये का 7 AU 117091, 08. एक नोट पांच सौ रूपये का 1 EE 788619, 09. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 PA 731952, 10. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CM 657846,11. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 RW 300469, 12. एक नोट पांच सौ रूपये का 6 UR 674858, 13. एक नोट पांच सौ रूपये का 5 KL 991945, 14. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 KU 707568, 15. एक नोट पांच सौ रूपये का 8 RV 560650, 16. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 LK 779142, 17. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 TR 439013, 18. एक नोट पांच सौ रूपये का 3 QE 910868, 19. एक नोट पांच सौ रूपये का 1 AD 677413, 20. एक नोट पांच सौ रूपये का 8 SV 331013, 21. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 DS 034804, 22. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 VA 368342, 23. एक नोट पांच सौ रूपये का 4 DS 365627, 24. एक नोट पाच सौ रूपये का 4 EG 545760, 25. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 AN 623470, 26 एक नोट पांच सौ रूपये का 6 AB 794823, 27. एक नोट पांच सौ रूपये का 8 DQ 918177, 28. एक नोट पांच सौ रूपये का 1 M L 648571, 29. एक नोट पांच सौ रूपये का 7 VQ 226392, 30. एक नोट पांच सौ रूपये का 1 DD 348300, उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्रीकान्त हैड कानि. 72 प्रभारी मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नरेश सिह परमार सहायक प्रोग्रामर से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक

वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपये के नोटों को श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दायी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा अथवा मोबाईल से मिसकॉल देकर अवगत करावे, उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री प्रभात कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि.67 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्रीकान्त हैड कानि. 72 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त टेªप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टेªप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद समय 05.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह ने बताया कि आरोपी श्री दिनेश सैनी पटवारी हाल कार्यरत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर कल दिनांक 03.03.2025 सुबह के व्यक्त समय 09.00 से 10.00 ए.एम पर अपने निवास स्थान पर ले सकता है। आज आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने की संभावना नही है ऐसी सूरत में आज अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही है। आईन्दा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात् समय 05.10 पी.एम पर परिवादी द्वारा पेश 15,000/-रूपये रिश्वत राशि जो फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर खाली (बिना मेमौरी कार्ड) को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह से प्राप्त की जाकर मालखाना में सुरक्षित रखे जाने हेतु श्रीकान्त हैड कानि. 72 मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर सुरक्षित रखने हेतु हिदायत दी गई। टेªप बॉक्स को भी मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 सुपुर्द किया परिवादी को समझाईस की आप कल दिनांक 03.03.2025 को प्रातः सारस चैराहा भरतपुर के पास मिलने एवं स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय हाजा कल दिनांक 03.03.2025 को प्रात उपस्थित होवे व कार्यवाही गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 03.03.2025 समय 10.00 ए. एम पर कल रात्रि परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह से मोबाईल वार्ता होने पर परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री दिनेश सैनी, पटवारी हाल कार्यरत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर बाहर गया हुआ है ऐसी सूरत में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही है, परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी को आ जाने पर तुरन्त ही अवगत करावें एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखे एवं स्वतंत्र गवाहान को भी अवगत कराया गया कि आरोपी बाहर गया हुआ है इस कारण अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही है। आगामी कार्यवाही के बारे में अवगत कराये जाने पर उपस्थित होने हेतु हिदायत की गई व कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने बाबत समझाईस की गई परिवादी से आरोपी के आ जाने की सूचना मिलने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 04.03.2025 समय 07.00 पी.एम पर परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह का वॉट्सअप कॉल मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास आया व अवगत कराया कि कल प्रातः आरोपी श्री दिनेश सैनी पटवारी रिश्वत राशि ले सकता है। अतः कल कार्यवाही किया जाना उचित रहेगा चूंकि मन् पुलिस उप अधीक्षक पूर्व से ही अन्य गोपनीय राजकार्य से भरतपुर आया हुआ हूं। अतः परिवादी को पाबन्द किया गया कि प्रातः सर्किट हाउस भरतपुर पर उपस्थित होवे एवं श्रीकान्त हैड कानि. 72 को जरिये टेलीफोन पाबन्द किया गया कि वह स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश सिह परमार, सहायक प्रोग्रामर व श्री प्रभात कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक व श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री योगेश सिह कानि. 88, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449, श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय प्राईवेट वाहन मय टेªप बॉक्स विभागीय वॉईस रिकॉर्डर, विडियो कैमरा, लैपटॉप, प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस मय फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 15,000/- रूपये मय पत्रावली प्रातः सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित होवे। इसके बाद दिनांक 05.03.2025 समय 08.30 ए.एम पर परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह पूर्व से पाबन्द शुदा उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर आया जिससे पूछा गया तो बताया कि आरोपी श्री दिनेश सैनी पटवारी द्वारा आज रिश्वत राशि ली जाने की पूरी संभावना है, परिवादी को बाद हिदायत कमरे में बिठाया गया। इसके बाद समय 08.40 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश सिह परमार, सहायक प्रोग्रामर व श्री प्रभात कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक व श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री योगेश सिह कानि. 88, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449, श्री राजकुमार कनिष्ठ

सहायक मय प्राईवेट वाहन मय टे^ap बॉक्स जिसमें फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा नही है विभागीय वॉईस रिकॉर्डर, विडियो कैमरा, लैपटॉप, प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस मय फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 15,000/- रूपये मय पत्रावली के पूर्व पाबन्द शुदा उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर आये जिन्हे कमरे में बिठाया गया स्वतंत्र गवाह व परिवादी का पुनः आपस में परिचय कराया गया श्रीकान्त हैड कानि. 72 ने बताया कि मुताबिक निर्देशानुसार रिश्वत राशि फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 15,000/- रूपये जो कि मालखाना में सुरक्षित रखे हुये थे को सुरक्षित बाहर निकाल कर स्वतंत्र गवाह श्री नरेश सिह परमार, सहायक प्रोग्रामर को सुपुर्द किये थे। श्री नरेश सिह परमार से उक्त रिश्वत राशि फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 15,000/- रूपये पांच-पांच सौ के तीस नोट को पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट से मिलना कराया गया तो उक्त वही नोट पाया गया जो फर्द पेशकशी में अंकित है उक्त रिश्वत राशि को परिवादी की पहनी हुई जाकिट की ऊपर की जेब में रखवाये गये व परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व पूरी टे^ap टीम द्वारा अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोये गये परिवादी व टे^ap टीम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो परिचय पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नही होना पाया गया। इसके बाद समय 08.55 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह, स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश सिह परमार, सहायक प्रोग्रामर व श्री प्रभात कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक मय टे^ap टीम मय सरकारी/प्राईवेट वाहन मय सरकारी चालक मय लैपटॉप, प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस मय विभागीय वॉईस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड एव टे^ap बॉक्स के वास्ते टे^ap कार्यवाही हेतु सरकूलर रोड भरतपुर आरोपी श्री दिनेश सैनी के निवास स्थान पर रवाना हुआ। इसके बाद समय 09.00 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह, स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश सिह परमार, सहायक प्रोग्रामर व श्री प्रभात कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक मय टे^ap टीम मय सरकारी/प्राईवेट वाहन मय सरकारी चालक मय लैपटॉप, प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस मय विभागीय वॉईस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड एव टे^ap बॉक्स के सर्किट हाउस से रवाना होकर आरोपी के मकान के पास पहॅचा जहां परिवादी को रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉडिंग किये जाने हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया जाकर आरोपी के पास भेजा गया व हिदायत की गई की आरोपी से अभिवादन होने पर हाथ नही मिलावे रिश्वत राशि लेन-देन के पश्चात् नियत ईशारा करे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन मय टे^ap टीम के आरोपी के मकान के आसपास उपस्थित छुपाते हुये मुकीम हुये। इसके बाद समय 09.15 ए.एम पर समय परिवादी विश्वेन्द्र सिह ने आरोपी के मकान से आरोपी दिनेश सैनी पटवारी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने बाबत मन् उप अधीक्षक पुलिस को नियत ईशारा प्राप्त हुआ इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश सिह परमार सहायक प्रोग्रामर, श्री प्रभात कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन विभाग धौलपुर के आरोपी के मकान ड्राईंग रूम में पहुंचा जहां परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा विभागीय वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह ने अपने पास में खडे हुये एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही दिनेश सैनी पटवारी, कार्यालय भू-अभिलेख अनुभाग कलेक्टे^ap भरतपुर जिसने मेरे पिताजी श्री लाखन सिंह एव माताजी श्रीमति नगीना देवी के नाम से ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में चल रहे वाद दावा दुरूस्ती में मदद कराने व धारा 136 रेवेन्यू एक्ट का दावा एस.डी.एम कोर्ट भरतपुर में कराने एवं उसमें स्टे दिलाने की एवज में मुझसे रिश्वत के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रकम 15,000/- रूपये, पांच-पांच सौ रूपये भारतीय चलन मुद्रा के कुल 30 नोट मुझसे प्राप्त कर अपने ड्राईंग रूम में सोफा की सीट के नीचे रख दिये है, इस पर पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री छाजूराम सैनी जाति माली उम्र 48 साल निवासी सूरजपोल गेट बाहर सैनी मौहल्ला भरतपुर हाल लक्ष्मण वाटिका मैरिज के सामने सरकूलर रोड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल पटवारी कार्यालय भू-अभिलेख अनुभाग कलेक्टे^ap भरतपुर होना बताया आरोपी से उक्त रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी कहने लगा कि मैने कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है, और अपने दोनो हाथो को रगडने लगा इस पर आरोपी का वाया हाथ श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. व दाया हाथ श्री नरेश सिह परमार सहायक प्रोग्रामर पकडवाया गया था। इसके बाद पास में खडे परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह ने कहा कि पटवारी जी झूंठ बोल रहे हैं मेरे पिताजी लाखन सिह ने सन् 1993 में एक प्लॉट नेशनल हाइवे पर खरीदा था जिसमें हम मकान बनवाकर रिहायश करते हुये चले आ रहे है। हमारे बगल के खसरा नं. 325 में एक साल पहले राजेन्द्र सिह ने एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी नाप करायी तो उसका कुछ रकवा सैटलमेन्ट में बढा हुआ बताया जिसका हमने दावा दुरूस्ती ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में पेश किया, ए.सी.एम का चार्ज एस.डी.एम श्री राजीव शर्मा भरतपुर के पास है। भू-अभिलेख अनुभाग कलेक्टे^ap भरतपुर में कार्यरत दिनेश सैनी, पटवारी धारा 136 रेवन्यू एक्ट का दावा एस.डी.एम कोर्ट भरतपुर में करवाकर उसमें स्टे दिलवाने एवं ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में चल रहे दावा दुरूस्ती के पेन्डिंग केस में एस.डी. एम भरतपुर जिनके पास ए.सी.एम भरतपुर का भी अतिरिक्त चार्ज है से मदद करवाने की एवज में एस.डी.एम भरतपुर के लिये 15,000/- रू रिष्वत राशि की मांग कर रहा था जिसकी शिकायत मैने आपको लिखित में कि थी उक्त शिकायत पर आप द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया था जिसमें श्री दिनेश सैनी पटवारी द्वारा 15,000/-रूपये रिश्वत मांगी गई थी उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में आज इन्होने अभी मुझे 15,000/- रू रिश्वत राशि लेकर अपने ड्राईंग रूम में सोफा की सीट के नीचे रख दिये है इस संबंध में आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि लाखन सिह व उसका लड़का विश्वेन्द्र सिह 10-11

महीने पूर्व मुझसे मिले थे मैं इनको पहले से जानता था इन्होने कहा था हमारे द्वारा जमीन पर कब्जा करने की रिपोर्ट गलत है तो मैने उनसे कहा कि तुम न्यायालय में वाद दायर कर दो इस पर इन्होने सिविल कोर्ट में वाद दायर किया था, वहां से स्टे खारिज होने के बाद इन्होने ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में वाद दायर किया था, ए.सी.एम भरतपुर का चार्ज एस.डी.एम भरतपुर के पास है उक्त वाद में मदद कराने एवं धारा 136 रेवेन्यू एक्ट का दावा एस.डी.एम कोर्ट भरतपुर में करवाकर उसमें स्टे दिलाने की एवज में एस.डी.एम भरतपुर के नाम से मैने खुद के 15,000/- रूपये की मांग मैने दिनांक 24.02.2025 को थी, मैं कुछ दिन के लिए शादी में बाहर गया था, वहां से वापस आने पर कल परिवादी मुझे कलेक्टे्ट भरतपुर में मिला था जिससे मैने धारा 136 की फाईल व रिश्वत राशि 15,000/- -रूपये लेकर आज घर पर बुलाया था जहां मैने फाईल व रिश्वत राशि प्राप्त करने पर आप व आपकी टीम आ गई व मुझे पकड लिया इस पर आरोपी से पुनः रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उन्होने रिश्वत राशि 15,000/- रूपये ड्राईंग रूम में सोफा की नीचे रख देना बताया इस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर पानी की बोतल मे से पानी लेकर प्लास्टिक के गिलास को साफ करवाकर एवं साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी दिनेश सैनी के वायां हाथ की अंगुलियों व अगूठा को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग हल्का गुलाबी होना बताया जिस पर दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिट चस्पा कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराकर शीशीयों पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं पुनः टे्प बॉक्स मे से एक डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसे अच्छी तरह साफ कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस घोल में इस पर गिलास के घोल में आरोपी दिनेश सैनी के दाये हाथ की अंगुलियों व अगूठा को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग हल्का गुलाबी होना बताया जिसे पर दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिट चस्पा कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराकर शीशीयों पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी के बताये अनुसार ड्राईंग रूम में रखे सोफा की सीट को हटाकर देखा तो उसमें पांच-पांच सौ के नोट होना पाये गये उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री प्रभात कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक से उठवाये जाकर गिनवाया गया तो पांच-पांच सौ रूपये के कुल 30 नोट कुल कीमत 15,000/- -रूपये होना पाया गया नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी नोट से मिलान कराया गया तो उक्त नोट वही नोट होना पाये गये जो परिवादी द्वारा फर्द पेशकशी नोट में दिये गये थे। नोटो का विवरण निम्न प्रकार हैः- 01. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 GV 886421, 02. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 ES 554871, 03. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 QT 580746 04. एक नोट पांच सौ रूपये का 6 HM 667163, 05. एक नोट पांच सौ रूपये का 0 PL 351004, 06. एक नोट पांच सौ रूपये का 5 RC 145170, 07. एक नोट पांच सौ रूपये का 7 AU 117091, 08. एक नोट पांच सौ रूपये का 1 EE 788619, 09. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 PA 731952, 10. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 CM 657846, 11. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 RW 300469, 12. एक नोट पांच सौ रूपये का 6 UR 674858, 13. एक नोट पांच सौ रूपये का 5 KL 991945, 14. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 KU 707568, 15. एक नोट पांच सौ रूपये का 8 RV 560650, 16. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 LK 779142, 17. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 TR 439013, 18. एक नोट पांच सौ रूपये का 3 QE 910868, 19. एक नोट पांच सौ रूपये का 1 AD 677413, 20. एक नोट पांच सौ रूपये का 8 SV 331013, 21. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 DS 034804, 22. एक नोट पांच सौ रूपये का 9 VA 368342, 23. एक नोट पांच सौ रूपये का 4 DS 365627, 24. एक नोट पाच सौ रूपये का 4 EG 545760, 25. एक नोट पांच सौ रूपये का 2 AN 623470, 26 एक नोट पांच सौ रूपये का 6 AB 794823, 27. एक नोट पांच सौ रूपये का 8 DQ 918177, 28. एक नोट पांच सौ रूपये का 1 M L 648571, 29. एक नोट पांच सौ रूपये का 7 VQ 226392, 30. एक नोट पांच सौ रूपये का 1 DD 348300 । उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से स्वतन्त्र गवाहान से पुनः करवाये जाने पर नोटो के नम्बर हूबहू पाये गये। सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी दिनेश सैनी के ड्राईंग रूम रखे सोफा की सीट के नीचे रखी हुई रिश्वत राशि बरामदगी स्थान सोफा को एक गीला रूई का फोहा लिया जाकर उक्त स्थान से गीले रूई के फोहा को रगडकर टे्प बॉक्स मे से एक डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसे अच्छी तरह साफ कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में गीले रूई के फोहा को धोया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर उक्त पानी को दो कांच की शीशीयों में भरकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क R--1 व R--2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोहा को

सुखाया जाकर एक पॉलीथीन की थैली में रखकर पुनः एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क R अंकित किया जिस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। टे^ap कार्यवाही में काम लिये गये समस्त डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी विभागीय विडियो कैमरा से जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 के कराई गई जिसकी फर्द विडियो ग्राफी पृथक से तैयार की गई, आरोपी श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री छाजूराम सैनी जाति माली उम्र 48 साल निवासी सूरजपोल गेट बाहर सैनी मौहल्ला भरतपुर हाल लक्ष्मण वाटिका मैरिज के सामने सरकूलर रोड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल पटवारी कार्यालय भू-अभिलेख अनुभाग कलेक्टे^ap भरतपुर द्वारा परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह के पिताजी लाखन सिंह एवं माताजी श्रीमति नगीना देवी के नाम से ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में चल रहे वाद दावा दुरूस्ती मे मदद कराने व धारा 136 रेवेन्यू एक्ट का दावा एस.डी.एम कोर्ट भरतपुर में करवाकर उसमें स्टे दिलाने की एवज में 15,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग करना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 05.03.2025 को राशि रिश्वती भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 30 (तीस) नोट कुल कीमत 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाता है। फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 11.15 ए.एम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर टेबिल स्पीकर की मदद से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रिकार्ड वार्ता जिसकी रिकॉडिंग विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में की गई जिसे विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह व गवाहान श्री नरेश सिह परमार सहायक प्रोग्रामर व श्री प्रभात कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु व दो डीबीडीयां क्रमशः- एक मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व एक मुलजिम डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर मूल मैमोरी कार्ड को मार्क M-1 व डब डीवीडी पर मार्क B अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। टे^ap कार्यवाही आरोपी के निवास स्थान पर होने के कारण मौके पर सहकर्मी नही होने के कारण नमूना आवाज की पहचान सहकर्मी से कराया जाना संभव नही होने के कारण पहचान नही कराई जा सकी। इसके बाद समय 01.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री छाजूराम सैनी जाति माली उम्र 48 साल निवासी सूरजपोल गेट बाहर सैनी मौहल्ला भरतपुर हाल लक्ष्मण वाटिका मैरिज के सामने सरकूलर रोड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल पटवारी कार्यालय भू-अभिलेख अनुभाग कलेक्टे^ap भरतपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह के पिताजी लाखन सिंह एवं माताजी श्रीमति नगीना देवी के नाम से ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में चल रहे वाद दावा दुरूस्ती मे मदद कराने व धारा 136 रेवेन्यू एक्ट का दावा एस.डी.एम कोर्ट भरतपुर में करवाकर उसमें स्टे दिलाने की एवज में 15,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग करना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 05.03.2025 को राशि रिश्वती भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 30 (तीस) नोट कुल कीमत 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने एवं आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाये जाने पर आरोपी को उक्त जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री नरेश सिह परमार, सहायक प्रोग्रामर से लिवायी गई तो पहने हुए कपडों के अलावा एक मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी का जिसमें एक जियो कम्पनी सिम जिसका नम्बर [redacted] है व आई.एम.ई.आई. नम्बर [redacted], [redacted], है जिसको फ्लाईट मोड पर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनकी पत्नी श्रीमति वीना को दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 02.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह की माताजी श्रीमति नगीना देवी व पिता श्री लाखन सिह के द्वारा तैयार किये गये प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायालय श्रीमान एस.डी.ओ. साहब भरतपुर की मूल पत्रावली आरोपी श्री दिनेश सैनी पटवारी के निवास स्थान के ड्राईंग रूम में आरोपी के कब्जे से प्राप्त की गई जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज 01 लगायत 29 तक है प्रथम पृष्ठ पर फाईल कवर जिस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय, भरतपुर लाखन वगैरा बनाम ज्योति अरोड़ा सरकार हस्तलिखित है, कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जे एसीबी ली गई पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी से पूछा गया तो बताया कि उक्त प्रार्थना-पत्र मै मेरे अधिवक्ता द्वारा दूसरा तैयार करवा लूंगा। अतः आप द्वारा मूल प्रार्थना-पत्र जप्त किया

जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। आरोपी से उक्त पत्रावली प्राप्त किये जाने के संबंध में पूछा तो बताया कि उक्त पत्रावली मै न्यायालय में अधिवक्ता को बुलाकर पेश करवाकर कार्यवाही स्टे संबंधी कराने के लिए प्राप्त की थी। फर्द जप्ती रिकॉर्ड पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03.00 पी.एम पर घटना स्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशानदेही पर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्षा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 03.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री छाजूराम सैनी जाति माली उम्र 48 साल निवासी सूरजपोल गेट बाहर सैनी मौहल्ला भरतपुर हाल लक्ष्मण वाटिका मैरिज के सामने सरकूलर रोड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल पटवारी कार्यालय भू-अभिलेख अनुभाग कलेक्टे^{a}ट भरतपुर की वक्त बरामदगी रिश्वती राशि व हाथ धुलाई आरोपी श्री दिनेश सैनी व रिश्वती राशि बरामदगी स्थल ड्राईंग रूम मकान आरोपी में सोफा की रूई के फोहा से धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा विभागीय विडियो कैमरा द्वारा करवाई गई थी, विडियो कैमरा को कम्प्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर विडियोग्राफी की पैन ड्राईव में कॉपी कर मार्क P अंकित कर पैन ड्राईव को सफेद थैली में रखकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर कर हैश वैल्यू निकाल कर संबंधितो के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली की गई थी। वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (41) लिखा हुआ है, फर्द जप्ती कॉपी पैन ड्राईव बरामदगी रिश्वती राशि व हाथ धुलाई आरोपी श्री दिनेश सैनी व रिश्वती राशि बरामदगी स्थल ड्राईंग रूम में सोफा की रूई के फोहा से धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह पुत्र श्री लाखन सिंह जाति जाट उम्र 30 साल निवासी एन.एच. 21 आगरा रोड ऊचा नगला वृजहनी के सामने भरतपुर पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (41) लिखा हुआ है, उक्त पीतल की सील को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री नरेश सिह परमार, सहायक प्रोग्रामर को सुपुर्द की गई एवं आवश्यकता होने पर न्यायालय में पेश करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। फर्द करने नष्ट नमूना सील पीतल को पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। 05.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिनेश सैनी, पटवारी मय टे^{a}प टीम मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स, टे^{a}प बॉक्स मय जप्त शुदा रिश्वती राशि, जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, विभागीय विडियो कैमरा मय फर्दात एवं पत्रावली आदि के बाद कार्यवाही मौके से एसीबी चैकी भरतपुर के लिए रवाना हुआ स्वतंत्र गवाहन व परिवादी को मौके से बाद कार्यवाही रूखस्त किया गया। इसके बाद समय 05.40 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दिनेश सैनी, पटवारी मय टे^{a}प टीम मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स, टे^{a}प बॉक्स मय जप्त शुदा रिश्वती राशि, जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, विभागीय विडियो कैमरा मय फर्दात एवं पत्रावली आदि के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी चैकी भरतपुर पहुंचा जहां गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री दिनेश सैनी पटवारी को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 005.42 पी.एम पर 449 मय सरकारी वाहन मय चालक तहरीर दी जाकर हिदायत दी गई आरोपी श्री दिनेश सैनी पटवारी कार्यालय भू-अभिलेख अनुभाग कलेक्टे^{a}ट भरतपुर का आर.बी.एम में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त कर एवं आरोपी को पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर में बन्द हवालात कराया जाकर पालना से अवगत कराये जाने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद समय 06.15 पी.एम पर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 व श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 मय सरकारी वाहन मय चालक फिकरावाला का रवाना शुदा वापस एसीबी चैकी भरतपुर आया दर्ज कराया कि एसीबी चैकी भरतपुर से रवाना होकर आर.बी.एम अस्पताल भरतपुर पहुंचा जहां तहरीर दी जाकर आरोपी दिनेश सैनी पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई आर.बी.एम अस्पताल से रवाना होकर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर पहुंचा जहां तहरीर दी जाकर आरोपी दिनेश सैनी पटवारी को बन्द हवालात कराया जाकर रिपोर्ट पहरा सन्तरी किया पुलिस थाना मथुरा गेट से रवाना होकर वापस एसीबी चैकी भरतपुर आया आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण रिपे◌ार्ट बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.30 पी.एम पर श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 श्री योगेश सिह कानि. 88 मय सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री सरमन सिह मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स, टे^{a}प बॉक्स, जप्त शुदा रिश्वती राशि मय जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, विभागीय विडियो कैमरा आदि के एसीबी चैकी धौलपुर के लिए रवाना किया श्रीकान्त हैड कानि. 72 मालखाना प्रभारी एसीबी धौलपुर को हिदायत की गई कि सील्ड शुदा आर्टिकल्स माल, जप्त शुदा सील्ड रिश्वती राशि, जामा तलाशी मे मिले मोबाईल फोन, विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, विडियो कैमरा आदि को सुरक्षित मालखाना में रखा जाना सुनिश्चित करे व मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित करने की मुनासिव हिदायत की गई। सम्पूर्ण टे^{a}प कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री छाजूराम सैनी जाति माली उम्र 48 साल निवासी सूरजपोल गेट बाहर सैनी मौहल्ला भरतपुर हाल लक्ष्मण वाटिका मैरिज के सामने सरकूलर रोड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल पटवारी कार्यालय भू-अभिलेख अनुभाग कलेक्टे^{a}ट भरतपुर द्वारा परिवादी श्री विश्वेन्द्र सिह के पिताजी लाखन सिंह एवं

माताजी श्रीमति नगीना देवी के नाम से ए.सी.एम कोर्ट भरतपुर में चल रहे वाद दावा दुरूस्ती मे मदद कराने व धारा 136 रेवेन्यू एक्ट का दावा एस.डी.एम कोर्ट भरतपुर में करवाकर उसमें स्टे दिलाने की एवज में 15,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग करना व उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में आज दिनांक 05.03.2025 को राशि रिश्वती 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री दिनेश सैनी पटवारी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर प्रेषित की गई। (सुरेन्द्र सिह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिह,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री छाजूराम सैनी जाति माली उम्र 48 साल निवासी सूरजपोल गेट बाहर सैनी मौहल्ला भरतपुर हाल लक्ष्मण वाटिका मैरिज के सामने सरकूलर रोड भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल पटवारी कार्यालय भू-अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 65 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 275 -78 दिनांक 06.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. जिला कलक्टर, भरतपुर। 3. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/03/2025 11:

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/06/1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)